

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-10) विभाग

क्रमांक प. 1 (1) गृह-10/07 पार्ट

जयपुर, दिनांक: हस्ताक्षरित

—:आज्ञा:—

राजस्थान अभियोजन सेवा के निम्नांकित अधिकारीगण उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप वित्त विभाग की आज्ञा संख्या प. 1 (6) वित्त/रुल्स/98 दिनांक 24.5.2004 के अनुसरण में इन्हें कॉलम संख्या-5 में अंकित तिथि को अपरान्ह से राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	नाम अधिकारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवानिवृत्ति दिनांक	वि.वि
1	2	3	4	5	6
1	श्री भगवत सिंह, सहायक निदेशक अभियोजन	उप निदेशक अभियोजन, दौसा	18.04.1965	30.04.2025	
2	श्री दीन मोहम्मद खान, सहायक निदेशक अभियोजन	उप निदेशक अभियोजन, भिवाड़ी	08.04.1965	30.04.2025	
3	श्री चन्द्रभान जोशी, सहायक निदेशक अभियोजन	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध), शाखा जयपुर	11.04.1965	30.04.2025	
4	श्री जवाहर सिंह, सहायक निदेशक अभियोजन	विशिष्ट लोक अभियोजक, साम्प्रदायिक दंगा, जयपुर	06.04.1965	30.04.2025	
5	श्री पुरुषोत्तम लाल नामा, सहायक निदेशक अभियोजन	अपर लोक अभियोजक ब्यावर अजमेर	11.05.1965	31.05.2025	
6	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक निदेशक अभियोजन	उप निदेशक अभियोजन, धौलपुर	30.05.1965	31.05.2025	
7	श्री ओमप्रकाश मेहता, उप निदेशक अभियोजन,	संयुक्त निदेशक अभियोजन, उदयपुर	02.06.1965	30.06.2025	
8	श्री अशोक कुमार जैन, अतिरिक्त	अतिरिक्त निदेशक	17.07.1965	31.07.2025	

	निदेशक अभियोजन	अभियोजन, एसी बी मुख्यालय जयपुर			
9	श्री अशोक कुमार भारद्वाज, सहायक निदेशक अभियोजन	संयुक्त निदेशक अभियोजन, एसी बी मुख्यालय जयपुर	10.07.1965	31.07.2025	
10	श्री कमलेश कुमार शर्मा, सहायक निदेशक अभियोजन	उप निदेशक अभियोजन, झालावाड़	08.07.1965	31.07.2025	
11	श्री पंकज कुमार वर्मा, सहायक निदेशक अभियोजन	अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर	25.08.1965	31.08.2025	
12	श्री रतन खांडेगर, अभियोजन अधिकारी	न्यायालय सीजेएम, बांसवाड़ा	05.08.1965	31.08.2025	
13	श्री जगन सिंह पिप्पल सहायक निदेशक अभियोजन	अपर लोक अभियोजक, डीग भरतपुर	15.09.1965	30.09.2025	राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।
14	श्री पृथ्वी सिंह चूडावत, उप निदेशक अभियोजन	उप निदेशक अभियोजन, भीलवाड़ा	26.11.1965	30.11.2025	
15	श्री कमल किशोर शर्मा सहायक निदेशक अभियोजन	अपर लोक अभियोजक संख्या 02, झुंझुनू	09.01.1966	31.01.2026	
16	श्री ओमप्रकाश गलोनिया, अभियोजन अधिकारी	न्यायालय एसीजे एम फतेहपुर, सीकर	05.03.1966	31.03.2026	

1. क्रम संख्या 01 से 16 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

2. क्रम संख्या 13 पर अंकित अधिकारी के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-17 के तहत कार्यवाही विचाराधीन है।
3. क्रम संख्या 01 से 16 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
4. क्रम संख्या 01 से 16 पर अंकित अधिकारियों के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से,

(रवि शर्मा)

शासन सचिव, गृह (विधि)

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (गृह) महोदय, राजस्थान सरकार।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय गृह राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-3 जांच/शिकायत) विभाग।
5. निदेशक, पेंशन विभाग, राज. जयपुर।
6. निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
7. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण) विभाग।
8. जिला कलक्टर, जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, भरतपुर, उदयपुर, दौसा, अलवर।
9. समस्त अतिरिक्त/संयुक्त/उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
10. समस्त प्रकोष्ठ अभियोजन निदेशालय।
11. संबंधित अधिकारीगण द्वारा निदेशक अभियोजन, राज0 जयपुर।
12. सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करे।
13. रक्षित/निजी पत्रावली।

शासन सचिव, गृह (विधि)